



CDTFA

कैलिफ़ोर्निया में बिक्री करना

कैलिफ़ोर्निया विभाग
के कर और शुल्क प्रशासन का एक परिचय



▶ कैलिफ़ोर्निया में कैलिफ़ोर्निया कर और शुल्क प्रशासन विभाग (CDTFA) 37 कर और शुल्क कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है। हमारा मनोरथ उचित रूप में और कुशलतापूर्वक राजस्व इकट्ठा करके कैलिफ़ोर्नियावासियों के लिए जीवन को बेहतर बनाना है, जो हमारी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का समर्थन करते हैं। हम आपका और आपके नये व्यापार का स्वागत करते हैं। हमारे राज्य में उद्यमियों और समृद्ध उद्यमों का एक समृद्ध इतिहास है और हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। यह प्रकाशन आपके द्वारा कैलिफ़ोर्निया में बिक्री करने के लिए एक त्वरित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। स्टेट के व्यवसाईकी नियम और कर कानून जटिल हैं और यह एक व्यापक मार्गदर्शिका नहीं है। हम आपके द्वारा किए जा रहे व्यापार संबंधी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं। हमारे कई कर्मचारी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं और अग्रिम अनुरोध के साथ, हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी भाषा बोलने वाला व्यक्ति आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हो।

कैलिफ़ोर्निया विक्रेता के परमिट

कैलिफ़ोर्निया विक्रेता का परमिट आपको थोक या खुदरा स्तर पर चीजें बेचने की अनुमति देता है। आपकी ओर से हमारे साथ पंजीकरण करने पर आपको विक्रेता परमिट प्राप्त होगा। आम तौर पर, आपको कैलिफ़ोर्निया में कानूनी रूप से माल, वाहन या अन्य वस्तुओं को बेचने और/या किराए पर देने, बेचने के लिए विक्रेता का परमिट प्राप्त करना होगा। यदि आप 90 दिनों से अधिक समय तक के लिए बिक्री नहीं करनी हैं, तो आपको एक अस्थायी विक्रेता परमिट के लिए आवेदन करना होगा, जैसे कि अक्सर क्रिसमस ट्री या शिल्प मेले की बिक्री के मामले में होता है।



विक्रेता का परमिट बनाम पुनर्विक्रय प्रमाणपत्र

विक्रेता का परमिट और पुनर्विक्रय प्रमाण पत्र दो अलग-अलग चीजें हैं। विक्रेता का परमिट आपको कैलिफ़ोर्निया में बेचने की अनुमति देता है, जबकि पुनर्विक्रय प्रमाण पत्र आपको उन वस्तुओं को खरीदने की अनुमति देता है जिन्हें आप अपने आपूर्तिकर्ताओं को कर का भुगतान किए बिना बेचने की अनुमति देता है। आपके पास विक्रेता का परमिट होने पर, आप अपने आपूर्तिकर्ताओं को आपके द्वारा व्यापार की सामान्यता बेची जाने वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए पुनर्विक्रय प्रमाणपत्र दे सकते हैं। विक्रेता का परमिट एक खरीददारी परमिट नहीं है। इसके बावजूद आपको आपके व्यवसाय में (जैसे कार्यालय की वस्तुएं) बिक्री के बजाय आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं पर कर का भुगतान भी करना होगा।

विक्रेता के परमिट के लिए आवेदन करना

विक्रेता के परमिट के लिए आवेदन करना निशुल्क है। आप www.cdtfa.ca.gov पर हमारी वेबसाइट के ऑनलाइन सेवा अनुभाग पर जाकर विक्रेता के परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपना आवेदन पूरा करने के लिए, आपको बैंक खाता विवरण और अनुमानित आय सहित अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी। यदि आपने अपना व्यवसाय खरीदा है, तो आपको पिछले मालिक का नाम और उनके सी.डी.टी.एफ.ए. विक्रेता परमिट नंबर प्रदान करना होगा। यदि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो कृपया 1-800-400-7115 (CRS:711) पर हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को कॉल करें, और एक सी.डी.टी.एफ.ए. प्रतिनिधि आपकी मदद करेगा। आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन पूरा करके उसका निवेदन करने के पश्चात, आप अपने विक्रेता परमिट को अपने व्यावसायिक स्थान पर प्रदर्शन के लिए प्रिंट कर सकेंगे। आप स्थानीय सी.डी.टी.एफ.ए. कार्यालय पर जाकर भी विक्रेता के परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.cdtfa.ca.gov/office-locations पर कार्यालय के फोन नंबरों और पत्तों को देख सकते हैं।

कर अनापत्ति प्रमाण का आवेदन

आप जिस किसी व्यवसाय को खरीद रहे हैं, उसके द्वारा किसी भी बिक्री का भुगतान करने या कर चुकाने से बचाने के लिए, आपको हमसे संपर्क करना चाहिए और कर निकासी के प्रमाण पत्र का अनुरोध करना चाहिए। आपके लिखित अनुरोध में, आपको आगे दी गई जानकारी शामिल करनी चाहिए:

- खरीददार का नाम, पता और फोन नंबर।
- विक्रेता का नाम, पता और फोन नंबर।
- व्यवसाय का पता।
- खरीद मूल्य की राशि सहित बिक्री या खरीद समझौते के बिल की एक प्रति।
- यदि लागू हो तो एस्करो कंपनी और एस्करो नंबर का नाम।
- व्यापार की खरीदी की तारीख।

विक्रेता के परमिट धारकों की बाध्यता

आपके पास विक्रेता का परमिट होने पर, आपको आवश्यकता है:

- विक्री और अपने व्यावसायिक कार्यों पर लागू होने वाले कर कानून का इस्तेमाल करने के बारे में समझना।
- अपनी विक्री और खरीद का दस्तावेजीकरण करने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड रखें (नीचे *रिकॉर्ड रखना* अनुभाग को देखें)।
- हमारे साथ ऑनलाइन समय समय पर विक्री का आवेदन और कर रिटर्न का उपयोग करें। आपकी ओर से विक्रेता परमिट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होने के पश्चात, आपको अनुमानित विक्री के आधार पर मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक फाइलिंग अनुसूची प्रदान की जाएगी।
- अपनी विक्री एवं खरीदों पर किसी भी बकाया विक्री या इस्तेमाल कर का भुगतान करें।

रिकॉर्ड रखना

आपके लिए कम से कम चार साल के लिए कर की सही मात्रा दिखाने के लिए रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। आपके द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड के उदाहरणों में यह जानकारी शामिल होनी चाहिए:

- आपका सामान्य बहीखाता और पत्रिकाओं जैसे आपकी आय और व्यय को संक्षेप में प्रस्तुत करने वाली खाता पुस्तकें। इस जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर स्टोर करके रखना चाहिए।
- मूल अभिलेख जो आपके खाते की पुस्तकों में प्रविष्टियों का समर्थन करते हैं जैसे कि बिल, रसीदें, चालान, काम के आदेश, अनुबंध या अन्य दस्तावेज़।
- आपके कर रिटर्न तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज़ और कार्यपत्रक।
- आपके द्वारा अपने ग्राहकों से स्वीकृत पुनर्विक्रय प्रमाण पत्र।

आपके रिकॉर्डों में यह सब होना अनिवार्य है:

- माल की विक्री और पट्टों तथा आपके द्वारा मानी जा सकने वाली कर मुक्त आय सहित सभी व्यावसायिक आय से सकल प्राप्तियां।
- आपके कर रिटर्न पर दावा की गई सारी कटौतियां।
- खरीदी गई सभी वस्तुओं का कुल खरीद मूल्य।

आपके व्यवसाय के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं

विक्रेता की अनुमति के लिए पंजीकरण के अलावा, आपको हमारे द्वारा प्रबंधित अन्य कर और शुल्क कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है (उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया टायर शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक अवशेष पुनःउपयोग शुल्क या सिगरेट और तंबाकू लाइसेंस कार्यक्रम)। अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए आपको अन्य लाइसेंस, परमिट या दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। कैलगोल्ड वेबसाइट, www.calgold.ca.gov आपके व्यवसाय के लिए उपयुक्त परमिट जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, आर्थिक विकास संगठन और व्यापारिक संगठन भी सूचना के अच्छे स्रोत हैं। अक्सर किसी शहर या काउंटी का व्यवसाय लाइसेंसिंग विभाग आपकी मदद कर सकता है, या आप हमें सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं।

करदाताओं के अधिकार अधिवक्ता

कैलिफोर्निया करदाता के तौर पर, आपके पास कई अधिकार हैं, जैसे कि गोपनीयता का अधिकार, उचित व्यवहार करने का अधिकार, और हमारे द्वारा की गई कार्रवाई की अपील का अधिकार यदि आपको सी.डी.टी.एफ.ए. में सामान्य चैनलों के माध्यम से समस्याओं को हल करने में सहायता की आवश्यकता है, या यदि आप हमारे द्वारा प्रशासित किसी भी कर या शुल्क कार्यक्रम के तहत अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप हमारे [करदाताओं के अधिकार अधिवक्ता कार्यालय](#) से टोल फ्री नंबर 1-888-324-2798 पर बात कर सकते हैं।

और जानकारी के लिए

क्या आपको दुभाषिया सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपने स्थानीय सी.डी.टी.एफ.ए. कार्यालय को फोन करें। यदि आप चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं के दुभाषिया को ला सकते हैं। हम आपसे स्पष्ट रूप से संवाद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि आपके पास सुझाव हैं कि हम अपनी सेवाओं को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो कृपया हमें बताएं।

जब इस प्रकाशन को लिखा गया था तो उस समय के कानून और लागू विनियमों को प्रकाशन संक्षेप को प्रस्तुत करता है। हालाँकि, उस समय के बाद कानून या विनियमों में परिवर्तन हो सकते हैं। यदि इस प्रकाशन पाठ और कानून के बीच में कोई भिन्नता है, तो निर्णय कानून पर आधारित होंगे व इस प्रकाशन पर नहीं। ▶

